न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/103/2018	28–08–2018	26–02–2019

1–कलावती पत्नी सेवा उर्फ सेवाराम जाति चमार निवासी ग्राम डीगली तहसील कोटकासिम, जिला अलवर

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार, भू0अ0, कोटकासिम जिला अलवर।

रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कोटकासिम् का निर्णय दिनांक 01.08.2018 नामान्तकरण संख्या 1034 ग्राम डीगली जिला अलवर।

उपस्थितः–

01. श्री आनन्दसिंह —वकील अपीलान्टस

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कोटकासिम के आदेश दिनांक 01.08.2018 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1034 ग्राम डीगली तहसील कोटकासिम्, जिला अलवर बेजा तौर पर खारिज किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 705/298 रकबा 5 एयर मुमाबिक सम्वत् 2071–2074 में अपीलार्थीनी के पुत्र मुकेश का 1/3 हिस्सा एवं खसरा नं0 711/298 रकबा 5 एयर मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में अपीलार्थीनी के पुत्र मुकेश का 1/6 हिस्सा वाके ग्राम डीगली तहसील कोटकासिम में स्थित है। अपीलार्थीनी के पुत्र मुकेश का स्वर्गवास 11.04.2018 को हो गया। मुकेश पुत्र सेवा उर्फ सेवाराम का विरासत इंतकाल संख्या 1034 अपीलार्थीनी के नाम खोला जाकर तहसीलदार द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया है। तहसीलदार कोटकासिम द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व मृतक मुकेश के वारिसान की जॉच नहीं की गयी। जबकि मृतक मुकेश के वारिस मिन अपीलार्थीनी है। अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मृतक मुकेश के वारिसान होने के संबंध में कोई आक्षेप पेश नहीं किया गया है। तहसीलदार कोटकासिम द्वारा अपने आदेश में उक्त विरासत इंतकाल अस्वीकार करने का महज यह कारण दिया है कि मृतक मुकेश शादीशुदा था तथा मृतक मुकेश के वारिसान के नाम उक्त इंतकाल दर्ज किया जाना चाहिये था। मृतक मुकेश की शादी वर्ष 2004 में हुई थी उसकी पत्नी एक–दो माह साथ रहकर कहीं अज्ञात स्थान पर चली गई। जिसके मृत या जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं है। अपीलार्थीनी मुकेश की विधिक वारिस है। तहसीलदार द्वारा विरासत का इंतकाल विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया है। मृतक मुकेश लाऔलाद फौत हुआ है, जिसके कोई जीवित संतान नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीनी काबिज होकर काश्त कर रही है। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के समक्ष जो रिपोर्ट मृतक के वारिसान बाबत् दिनांक 01.08.2018 को पेश की गई थी उसमें कहीं पर यह अंकित नहीं किया गया कि अपीलार्थीनी मृतक मुकेश की विधिक वारिस नहीं है। तहसीलदार द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीनी को नहीं सुना गया। अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार फरमाया जाकर विरासत इंतकाल संख्या 1034 स्वीकार फरमाया जावे। अपील के समर्थन में वकील अपीलाण्ट द्वारा आरएलडब्ल्यू 2007(1) आरजे. पेज 447 पेश किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि मृतक मुकेश की वारिसान को

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि मृतक मुकेश की वारिसान को सही ढंग से नहीं समझा गया। तहसीलदार कोटकासिम द्वारा इंतकाल दर्ज करते समय वारिसान की जॉच नहीं की गई। उक्त संबंध में वकील अपीलाण्ट द्वारा पेश की गई नजीर पूर्णतया चस्पा होती है।

अतः अपील अपीलाण्ट तहसीलदार कोटकासिम को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मृतक मुकेश पुत्र सेवा उर्फ सेवाराम के वारिसान की जॉच करे एवं पुनः विधिसम्वत् निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक **26–02–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)